

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्र) गुजरात, शाखा अहमदाबाद
"ऑडिट भवन" पांचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-09

परिपत्र सं. डब्लू एम्-1/23 दिनांक: 27.03.2023

No-WM-I/OW-1560
Dt: 28/03/2023

मुख्यालय के पत्र सं. 297/Staff (Disc. I)/03-2021 दिनांक 03.02.2023 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर ई-लर्निंग मॉड्यूल, जो एक स्व-शिक्षण मॉड्यूल है, की शुरुआत की गई है, जिसे साई प्रशिक्षण पोर्टल (SAI Training Portal) पर अपलोड कर दिया गया है।

As per HQ letter no. 297/Staff (Disc. I)/03-2021 dated: 03.02.2023, e-learning module on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, which is a self-learning module, available on SAI Training Portal, has been uploaded.

अतः इस कार्यालय के सभी मंडल लेखा अधिकारी / मंडल लेखाकारों को निदेशित किया जाता है कि साई प्रशिक्षण पोर्टल (SAI Training Portal) के अंतर्गत Learning Management System (LMS) पोर्टल (https://training.cag.gov.in/Lms_Login.aspx) में "General Course" में जाकर उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित कर इसे पूरा करें।

Therefore, all Divisional Accounts Officers/Divisional Accountants are directed to log in to the Learning Management System (LMS) portal (https://training.cag.gov.in/Lms_Login.aspx) under SAI Training Portal. Go to "General Course" and enroll for the said training and complete it.

नए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, परीक्षा (probation) के दौरान इस पाठ्यक्रम को पूरा करना अनिवार्य है।

It is mandatory for newly appointed Divisional Accountants to complete this course during their probation.

मुख्यालय के निदेशानुसार उपरोक्त प्रशिक्षण को मार्च-2024 तक पूरा करना अनिवार्य है।

As per direction of the Headquarters, it is mandatory to complete the above training by March-2024.

उपरोक्त प्रशिक्षण की समाप्ति पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र डब्लू एम् - | अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्र), अहमदाबाद को रिकॉर्ड के लिए भिजवाना अनिवार्य है।

After completion of the above said training, all officers/officials must send the certificates to the WM-I Section, O/o the Accountant General (A&E), Ahmedabad for record.

(प्राधिकार:- उपमहालेखाकार (लेखा एवं हक्र) के आदेश दिनांक: 21.02.2023)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/डब्लू एम्-1

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव, विभागीय लेखाकार संघ, गुजरात
2. सभी कार्यपालक अभियंता, आर & बी, इरीगेशन, गेरी
3. व लेखाधिकारी /आई टी सेल, राजकोट से निवेदन हैं कि इस परिपत्र को इस कार्यालय की वेब साईट पर डालने का प्रबंध करें।
4. का.आ.फा.

वरिष्ठ लेखाधिकारी/डब्लू एम्-1